// लेखा-योग

१२३· विअविअ विधेयक २००६ - भाग २ | मार्च - ०६/ रा· फाल्गुन १९२७; फरवरी - ०७ में प्रकाशित

लेखा-योग

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से) १

६. अस्वीकृति के आधार १

७. विअविअ का नवीनीकरण २

८. पूर्वानुमति ३

९. सुनिश्चित कार्यक्रम वाले व्यक्ति ३

१०· छात्रवृत्तियाँ ४

११. विअविअ प्रमाण-पत्र का निलंबन ४

लेखा-योग के अंक १२२ से आगे...

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से)

६. अस्वीकृति के आधार

वर्तमान विअविअ[१] (१९७६) के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं में से एक समस्या यह भी है कि आपको अपने पञ्जीकरण आवेदन की अस्वीकृति के कारण कभी भी ज्ञात नहीं हो सकते[२] हैं। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जिनमें आवेदक को इस सम्बन्ध में न्यायालय तक जाना पड़ा है।

इस नए विधेयक में पञ्जीकरण आवेदन को मना करने के कारणों का उल्लेख[३] विशेष रूप से किया गया हैः

(i) कोई काल्पनिक या बेनामी[४] आवेदक होने की स्थिति में;

(ii) प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के क्रियाकलापों में संलिप्त हुआ हो;

(iii) साम्प्रदायिक तनाव या असामंजस्य फैलाया हो;

(iv) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए धनराशि का उपयोग करने या इसके दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया हो;

(v) राष्ट्रविरोधी प्रचार करने या अपनी कार्यसिद्धि के लिए हिंसात्मक विधि का समर्थन करने में संलिप्त होने पर या संलिप्त होने की संभावना होने पर;

(vi) विदेशी अभिदाय का उपयोग निजी लाभ के लिए या उसके किसी अवांछित प्रयोजन के लिए उपयोग करने की संभावना होने पर;

(vii) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया हो;

(viii) जिसका विअविअ प्रमाण-पत्र इससे पूर्व निलंबित या निरस्त किया गया हो;

(ix) जिसका विअविअ प्रमाण-पत्र आवेदन के तीन वर्षों के अन्दर रद्द किया गया हो;

(x) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए प्रतिबन्धित किया गया हो;

(xi) यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो इससे पूर्व उस पर कोई दोष सिद्ध हुआ हो या उसके विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित हो;

---

[१] विअविअ - विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ [Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

[२] एक स्वागतयोग्य परिवर्तन के रूप में विअविअ विभाग ने अभी हाल ही में स्पष्ट किया कि पञ्जीकरण के आवेदन को तेईस कारणों में से किसी भी एक कारण के लिए मना किया जा सकता है (विअविअ नियम पुस्तिका, जून २००५)।

[३] विअविअ विधेयक २००६ की धारा १२ (३)

[४] जहाँ पर व्यक्ति की वास्तविक पहचान छुपा कर रखी जाती है।

(xii) यदि आवेदक कोई संगठन है तो इसका कोई भी निदेशक अथवा पदाधिकारी या तो दोषी सिद्ध हुआ हो या उसके विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित हो;

(xiii) आवेदक द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से निम्नलिखित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना होने पर –

- भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता; या
- राष्ट्र की सुरक्षा, युद्धनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित; या
- सार्वजनिक हित; या
- किसी भी विधान मण्डल के स्वतन्त्र या निष्पक्ष चुनाव; या
- किसी अन्य राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध; या
- धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, प्रजातियों अथवा समुदायों के बीच सामंजस्यता;

(xiv) अभिदाय स्वीकार करने से कोई अपराध बन जाने पर या किसी के लिए प्राणघातक अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो।

इसके अतिरिक्त स्थायी विअविअ पञ्जीकरण मात्र उन्हीं जन-सेवी संस्थाओं (NPOs) को दिया जाएगा जिन्होंने अपने चयनित क्षेत्र में किसी सार्थक क्रियाकलाप का क्रियान्वयन किया हो।

पूर्वानुमति की स्थिति में सार्थक क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। यदि जन-सेवी संस्था (NPO) एक सार्थक परियोजना प्रस्तुत करती है तो यही पर्याप्त है। यदि यह प्रावधान उचित रूप से क्रियान्वित होता है तो नई जन-सेवी संस्थाएँ सरलता से विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त यदि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में न हो या अधूरा[५] पाया गया तो भी आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है।

और अन्ततः एक बहुत ही स्वागत-योग्य परिवर्तन यह हुआ है कि पञ्जीकरण करने से मना करने के कारणों के सम्बन्ध में आवेदक को लिखित[६] रूप से सूचित किया जाएगा। यह तो उसी तरह से है जैसे किसी पुराने उपहार को फिर से सजाकर दिया गया हो। पञ्जीकरण मना करने के उन्हीं कारणों को आवेदक के साथ बाँटा जाएगा जो सूचनाएँ ऐसे भी सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती हो ! हालाँकि, इन कारणों की जानकारी निश्चित ही सूचना के अधिकार के द्वारा पाने से कहीं अधिक सरल होगा।

७. विअविअ का नवीनीकरण

इस नए विधेयक के अन्तर्गत विअविअ का पञ्जीकरण एक बार में केवल पाँच वर्ष तक के लिए ही किया जाएगा। उसके बाद विअविअ पञ्जीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए करना पड़ेगा। यदि नवीनीकरण के लिए सभी दस्तावेज या प्रलेख संतोषजनक हों तो नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा। परन्तु यदि कोई जन-सेवी संस्था विअविअ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उसके नवीनीकरण को अस्वीकार किया जा सकता है।

पञ्जीकरण[७] अवधि के अंतिम छः माह के प्रारम्भ से किसी भी समय इस नवीनीकरण प्रक्रिया की शुरूआत की जा सकती है। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे कि प्रत्येक जन-सेवी संस्था को अपना नवीनीकरण कराने के लिए उचित समय मिल सके।

---

[५] विअविअ विधेयक २००६ की धारा १२(२)

[६] विअविअ विधेयक २००६ की धारा १२(४)

[७] '*Renewal of certificate.* 16. (1) Every person who has been granted a certificate under section 12 shall have such certificate renewed within six months before the expiry of the period of the certificate. ...

(3) The Central Government shall renew the certificate subject to such terms and conditions as it may deem fit and grant a certificate of renewal for a period of five years.'

Provided that the Central Government may refuse to renew the certificate in case where a person has violated any of the provisions of this Act or rules made thereunder.

इस नवीनीकरण की आवश्यकता को बहुत सी जन-सेवी संस्थाएँ चिंताजनक मानती हैं, क्योंकि यह प्रावधान उनके कार्य को जारी रखने में अनिश्चितता जैसे तत्व को जन्म देता है।

८. पूर्वानुमति

पूर्वानुमति प्राप्त करने की सुविधा इस नये विधेयक में भी पहले की तरह ठीक उसी प्रकार[८] से है। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्वानुमति केवल उल्लिखित प्रयोजन तथा उल्लिखित स्रोत के लिए ही मान्य होगी।

वर्तमान समय में पूर्वानुमति आवेदन की प्रक्रिया के लिए अधिकतम समय-सीमा ९०/ १२० दिन की होती है। हालाँकि, नए विधेयक में इस आवेदन-पत्र की प्रक्रिया के लिए किसी भी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसकी समय-सीमा को नियमावली के द्वारा

लाया जाएगा अथवा इसे पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया जाएगा।

९. सुनिश्चित कार्यक्रम वाले व्यक्ति

वर्तमान विअविअ (1976) के अन्तर्गत केवल संस्थाओं को ही विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकरण कराने की आवश्यकता होती है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब उनके पास एक सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम[९] हो।

अब नए विअविअ के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनके पास इस प्रकार का कोई भी एक सुनिश्चित कार्यक्रम[१०] है। व्यक्ति कौन है? इस नये विधेयक[११] के अनुसार "'व्यक्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(i) कोई भी व्यक्ति;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार (HUF);

(iii) कोई समूह या परिसंघ (Association);

(iv) भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २५ के अंतर्गत कोई पञ्जीकृत कम्पनी;'

चूँकि अंतिम दो पहले ही समूह या परिसंघ (Association) की वर्तमान परिभाषा में सम्मिलित थे, परन्तु अब इस विधेयक में व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार[१२] (Hindu Undivided Family) को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

हालाँकि, एक विशिष्ट प्रकार की कम्पनी[१३] (धारा 25) के उल्लेख करने से विधेयक ने एक महत्त्वपूर्ण छूट दी हैः अब कोई भी साधारण कम्पनी सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम के साथ तब तक विअविअ के अन्तर्गत नहीं आएगी जब तक कि वह कम्पनी अपना पञ्जीकरण कम्पनी अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत नहीं कराती है !

---

[८] Section 11(2): Every person referred to in sub-section (1) may, if it is not registered with the Central Government under that sub-section, accept any foreign contribution only after obtaining the prior permission of the Central Government and such prior permission shall be valid for the specific purpose for which it is obtained and from specific source.

[९] ऐसी संस्थाएँ जो कि अन्य प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि स्वास्थ्य कार्यक्रम या खेल-कूद (स्पोर्ट) कार्यक्रम, आदि चलाती हैं तो ऐसी संस्थाएँ विअविअ के अन्तर्गत नहीं आती हैं। हालाँकि ऐसे संस्थाओं का कोई भी उद्देश्य सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यों से सम्बन्धित नहीं होने चाहिए।

[१०] *Registration of certain persons with Central Government.* 11. (1) Save as otherwise provided in this Act, no person having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme shall accept foreign contribution unless such person obtains a certificate of registration from the Central Government….

[११] विअविअ विधेयक २००६ की धारा २(१)(एम)।

[१२] हिन्दू अविभाजित परिवार, एक परम्परागत संयुक्त परिवार जिसको संवैधानिक रूप से एक व्यवसायिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा जिन पर आय-कर लगायी जाती है।

[१३] लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं बनाई गई कम्पनियों को धारा २५ के अन्तर्गत एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिससे उन्हें आयकर आदि से छूट प्राप्ति की मान्यता भी मिलती है। यदि कोई कम्पनी धारा २५ के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं लेती है तो उन्हें अपने लाभ पर आयकर देना पड़ेगा।

१०. छात्रवृत्तियाँ

वर्तमान विआविअ के अन्तर्गत ३६,००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की छात्रवृत्ति या वृत्तिका प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा सरकार[१४] को सूचित करना अपेक्षित है।

अब इस नए विआविअ विधेयक में इस प्रकार की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि नये विआविअ विधेयक में व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वृत्तिका अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति अभी भी इसमें आएँगे अथवा नहीं।

११. विआविअ प्रमाण-पत्र का निलंबन

प्रमाण-पत्र निरस्त (cancel) करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। इस समयावधि के लिए नये विधेयक में विआविअ पञ्जीकरण के निलंबन (suspension) के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। यह निलंबन अधिकतम १८० दिन की अवधि के लिए हो सकता है।

निलंबन की इस अवधि में जन-सेवी संस्थाएँ प्रत्येक प्रकरण के लिए बिना पूर्वानुमति के विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकती हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में पहले से ही प्राप्त राशि का क्या होगा? इस राशि का उपयोग भी केवल विआविअ विभाग[१५] के पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है।

---

[१४] विआविअ १९७५ की धारा ७, नियमावली ५।

[१५] *Suspension of certificate.* 13. (1) Where the Central Government, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that pending consideration of the question of canceling the certificate on any of the grounds mentioned in sub-section (1) of section 14, it is necessary so to do, it may, by order in writing, suspend the certificate for such period not exceeding one hundred and eighty days as may be specified in the order. …

(2) Every person whose certificate has been suspended shall -

(a) not receive any foreign contribution during the period of suspension of certificate;

Provided that the Central Government, on an application made by such person, if it considers appropriate, allow receipt of any foreign contribution by such person on such terms and conditions as it may specify;

(b) utilise, in the prescribed manner, the foreign contribution in his custody with the prior approval of the Central Government.

लेखा·योग क्या है – 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग ३५०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

विधि-व्याख्या – यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप – लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। चयनित लेखा·योग के अङ्कों तथा इस अंक का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग – This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

अकाउण्टएड सम्पुटिका (capsule) – जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड सम्पुटिका में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई-प्रेष करें।

पत्राचार – आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है – अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष – ०११-२६३४ ३१२८; प्रतिरूप प्रेषिका – २६३४ ६०४१; ई-प्रेष – accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India विक्रम संवत् २०६३ फाल्गुन; फरवरी २००७ ईस्वी।

tRS,AB/rAB,RS/sAB/fAB/cpSA